राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत खाटलबाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 116/2016

1. जीतसिह पुत्र हुकमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — **प्रार्थी**

—:: बनाम ::—

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

— — **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैराकार राज अप्रार्थी

—:: निर्णय ::— दिनांक :— **22.06.2017**

प्रार्थी जगदेवसिंह पुत्र करतारसिंह जाति मजहबी सिख द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे पिता करतारसिंह पुत्र वरयामसिंह जाति मजहबी सिख के नाम से 2.466 हैक्टर भूमि है मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी 2068 के खाता संख्या 89 में पिता का नाम करतारसिंह पुत्र भागसिंह 2.466 हैक्टर जाति जटसिख दर्ज है। जो कि गल्त है।

सम्वत् 2056 की जमाबन्दी में पूर्व नाम सही था परन्तु जमाबन्दी 2056 में गल्ती से नाम गल्त दर्ज हुआ है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है, कि रिकार्ड में करतारसिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख के स्थान पर करतारसिंह पुत्र भागसिंह जाति मजहबीसिख नाम की दुरूस्ती के आदेश फरमानें की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 2167 दिनांक 28.06.2016 के द्वारा भिजवाई गई जो स्पष्ट नहीं होनें के कारण तहसीलदार को वापिस लौटाकर पुनः रिपोर्ट चाही गई।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 13.06.2017 को पुनः रिपोर्ट भिजवाई गई जिसके अन्तर्गत कथन किया कि करतारसिंह द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 26.06.1963 द्वारा खरिद शुद्धा है, जो कि जरिये इन्तकाल संख्या 92 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ है। इन्तकाल संख्या 92 में उक्त रकबा करतारसिंह पुत्र वरयामसिंह कौम जटसिख साकिन 1 बी.बी. खातेदार दर्ज है। अतः मुताबिक इन्तकाल संख्या 92 करतारसिंह पुत्र भागसिंह के स्थान पर करतारसिंह पुत्र वरयामसिंह नाम की दुरूस्ती की जानी उचित है।

लगातार 2

प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ताको सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे सिद्ध हो कि "करतारसिंह पुत्र भागसिंह" व "करतासिंह पुत्र वरियामसिंह" एक ही व्यक्ति है। तथा वर्ष 1963 में जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि में नामान्तरण दर्ज करनें में हुई त्रुटि को अभी तक शुद्धि नहीं करवाये जानें के कारण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषजनक साक्ष्य पेश नहीं किये जानें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खाटलबाना के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर